

मूल वाद में डिक्री  
न्यायालय सहायक कलेक्टर (SDO) मावली, जिला-उदयपुर  
पीठासीन अधिकारी: श्री अक्षय गोदारा, I.A.S.  
मुकदमा नम्बर : 165/16 (वाद)

उनवान

1. श्री मोडसिंह पिता हेमसिंह राजपूत निवासी वामनिया खेत (डबोक) तह. मावली।
2. श्री गोविन्दसिंह पिता हेमसिंह राजपूत निवासी वामनिया खेत (डबोक) तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री सोहनसिंह पिता हेमसिंह राजपूत निवासी वामनिया खेत (डबोक) तह. मावली।
2. श्री डुलेसिंह पिता प्रतापसिंह राजपूत निवासी वामनिया खेत (डबोक) तह. मावली।
3. श्रीमती शंकर कुंवर बेवा प्रतापसिंह राजपूत निवासी वामनिया खेत (डबोक) तह. मावली।
4. श्रीमती कमला कुंवर पिता हेमसिंह पत्नी अमरसिंह राजपूत निवासी साकरोदा तह. गिर्वा।
5. श्रीमती नीमा कुंवर पत्नी भंवरसिंह राजपूत निवासी वामनिया खेत (डबोक) तह. मावली।
6. श्रीमती धापु कुंवर बेवा हेमसिंह राजपूत निवासी वामनिया खेत (डबोक) तह. मावली।
7. श्री भंवरसिंह पिता मोडसिंह राजपूत निवासी वामनिया खेत (डबोक) तह. मावली।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
9. उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय मावली।

.....प्रतिवादीगण

शवा बाबत :- 53, 88, 188 रा.का.अधि.  
मुकदमा नम्बर : 165/16 वाद  
नेर्णय दिनांक : 21.10.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु अक्षय गोदारा, I.A.S.  
मेनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
का आदेश 9 नियम 5 जा0दी0 के तहत अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 21.10.2019 को जारी

की गई।



*Akhay*  
(अक्षय गोदारा IAS)  
सहायक कलेक्टर  
(SDO) मावली